

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना (NFSM (CC-Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में Demonstrations on intercropping with sugarcane मद में प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु किसानों को इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 3200 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिए जाएंगे। गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई की जाएगी।

उक्त मद में अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharayana.gov.in में Agri scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 31.10.2019 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना स्कीम 2018-19 के तहत Demonstration on intercropping with sugarcane के लिए कृषि सामग्री खरीदने हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र:-	
1	किसान का नाम:-
2	पिता/पति का नाम:-
3	माता का नाम:-
4	श्रेणी (सामान्य/पिछडी जाति/अनुसूचित जाति):-
5	आधार कार्ड संख्या:-
6	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:-
7	पता:- क) गांव:- ग) तहसील:- ड) पिन कोड:- ख) खण्ड:- घ) जिला:- च) मोबाईल नं0:-
8	जमीन का विवरण (कुल रकबा)
9	गन्ने की बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):-
10	Demonstration on inter cropping with sugarcane.
11	सह फसल का नाम:-
12	सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय का नाम :-
13	बैंक खातो का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:-

	(घ) IFSC कोड
--	--------------

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह